HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 20537/2025
CNR: RJHC010972232025 | URN: CW / 36637U / 2025

Suresh Choudhary

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 296/2025
CNR: RJHC010015272025 | URN: CW / 531U / 2025

Gram Panchayat

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Moti Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Aishwarya Anand, Adv. Mr. Tushar Jain, Adv. Mr. J K Rankawat, Adv. (Appeallant in S.B. Civil Writ No. 296/25)

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/07/2026

इस मामले में कथित रूप से यह बताया गया है कि गैर–मुमकिन रास्ते की भूमि पर सर्किल बनाकर अनाधिकृत रूप से एक मूर्ति रखी गयी है, जिसके संबंध में तहसीलदार मकराना, जिला–डीडवाना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस को चुनौती देते हुए ग्राम पंचायत की ओर से एकलपीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 296/2025 प्रस्तुत की गयी तथा ग्रामवासियों की ओर से इस कथित अवैध निर्माण के संबंध में एकलपीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 20537/2025 प्रस्तुत की गयी है।

ग्राम पंचायत के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वे आज बहस हेतु पूर्ण रूप से तत्पर नहीं हैं, इसके विपरीत अन्य पक्षों की यह आपत्ति रही है कि धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये नोटिस का प्रत्युत्तर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दिया जा सकता था, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा एकलपीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 823/2025 उदय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 की प्रति प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि जब प्रभावी और वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

दिनांक 08.01.2025 को इस न्यायालय द्वारा यथास्थिति के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया था, उसके पश्चात् दिनांक 09.01.2025 को न्यायालय तहसीलदार मकराना, जिला डीडवाना 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये नोटिस के संबंध में अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध अपील का भी प्रावधान है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी के निवेदन पर एक स्थगन दिया जाता है तथा बदली हुई परिस्थितियों में पूर्व में पारित अंतरिम आदेश मात्र आगामी पेशी तक विस्तारित किया जाता है, जो आगामी पेशी पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा तथा दोनों पक्षों को सुनकर नये सिरे से अंतरिम/आदेश पारित किया जायेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

133-134/Nitin Jagtiani/306